पूरक पोषाहार कार्यक्रम

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती, प्रसूति महिला तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना तथा उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य/पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढाना है।

2. निधि का संवितरण

पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए क्रमश:केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 है।

3. देय राशि

पूरक पोषाहार कार्यकम अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दरें लागू होंगी।

4. पात्रता

राज्य के ऑगनबाडी केन्द्र में नामांकित 6 माह से 6 वर्ष के सभी बच्चें, गर्भवती तथा धातृ महिलाएँ।

5. प्रक्रिया

ऑगनबाडी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी गृहों का ऑगनबाडी सेविका द्वारा सर्वेक्षण कर ऑगनबाडी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के योग्य लाभार्थियों यथा- 0-6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं प्रसूति महिला, किशोरी बालिकाएँ की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में अंकित सभी योग्य लाभार्थी जो ऑगनबाडी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा ''ऑगन'' ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।